

दिनांक: 21 अगस्त 2023

प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी (पीएमएवाई-यू) और संबद्ध योजनाएं:

इस लेख में "दैनिक करंट अफेयर्स" और विषय विवरण "प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी (पीएमएवाई-यू) और संबद्ध योजनाएं" शामिल हैं। संघ लोक सेवा आयोग के सिविल सेवा परीक्षा के सामाजिक न्याय अनुभाग में "प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी (पीएमएवाई-यू) और संबद्ध योजनाएं" विषय से संबंधित है।

प्रीलिम्स के लिए:-

- प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी (पीएमएवाई-यू) के बारे में?

मुख्य परीक्षा के लिए:-

- जीएस 2: सामाजिक न्याय
- प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी (PMAY-U) का महत्व?

सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में, प्रधानमंत्री ने 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने भाषण के दौरान शहरी वंचित आबादी के सामने आने वाले महत्वपूर्ण आवास मुद्दों के समाधान के लिए एक अनूठी योजना की शुरुवात किया।
- यह नई योजना मौजूदा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी (पीएमएवाई-यू) के पूरक प्रयास के रूप में कार्य करती है, जो 2015 में शुरू किया गया एक आधारशिला सरकारी कार्यक्रम है।



परिचय:-

- प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी (पीएमएवाई-यू) आर्थिक रूप से वंचित वर्गों के बीच शहरी आवास की गंभीर कमी को दूर करने के लिए, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) के निर्देशन में एक प्रमुख सरकारी पहल है।
- सभी के लिए किफायती आवास सुनिश्चित करने के मिशन के साथ, पीएमएवाई-यू का उद्देश्य वर्ष 2022 तक पात्र शहरी परिवारों को "पक्के" (टिकाऊ और स्थायी) घर प्रदान करना है। सभी स्वीकृत घरों को पूरा करने के महत्व

को स्वीकार करते हुए, इस योजना को फंडिंग पैटर्न और कार्यान्वयन पद्धतियों में बदलाव किए बिना दिसंबर 2024 तक बढ़ा दिया गया है।

लक्षित लाभार्थी:-

पीएमएवाई-यू को विभिन्न आय समूहों की विविध आवास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सावधानीपूर्वक डिजाइन किया गया है:-

- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस): अधिकतम वार्षिक पारिवारिक आय 3,00,000 रुपये।
- निम्न आय वर्ग (एलआईजी): अधिकतम वार्षिक पारिवारिक आय 6,00,000 रुपये।
- मध्यम आय समूह (एमआईजी I और II): अधिकतम वार्षिक पारिवारिक आय 18,00,000 रुपये।

पीएमएवाई-यू (PMAY-U) के घटक:-

इन-सीट्टू स्लम पुनर्विकास (आईएसएसआर):-

- आईएसएसआर एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जो पुनर्विकास की प्रक्रिया के दौरान योग्य झुग्गीवासियों के लिए प्रति आवास 1 लाख रुपये की केंद्रीय सहायता प्रदान करता है।
- यह अनूठा दृष्टिकोण निजी समूह और सरकारी अधिकारियों के बीच सहयोग पर जोर देता है, जिससे भूमि को एक मूल्यवान संसाधन में बदल दिया जाता है।

क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (सीएलएसएस):-

- पीएमएवाई-यू का सीएलएसएस घटक आर्थिक रूप से वंचित वर्गों के बीच घर के स्वामित्व को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ईडब्ल्यूएस/एलआईजी एवं मध्यम आय वर्ग (एमआईजी)-1 और एमआईजी-2 के लाभार्थी जो घरों की खरीद, निर्माण या मरम्मत के लिए आवास ऋण चाहते हैं, वे ब्याज सब्सिडी के हकदार हैं।

ये सब्सिडी ऋण राशि के आधार पर भिन्न होती है:

- रु. 6 लाख तक के लोन पर 6.5%
- रु. 9 लाख तक की ऋण राशि पर 4%
- रु. 12 लाख तक की लोन राशि पर 3%

आवास और शहरी विकास निगम (हुडको), राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी), और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) नामित केंद्रीय नोडल एजेंसियों (सीएनए) के रूप में कार्य करते हैं, जो प्रगति निगरानी सुनिश्चित करते हुए उधार देने वाले संस्थानों के माध्यम से सब्सिडी को प्रसारित करने के लिए जिम्मेदार हैं।

साझेदारी में किफायती आवास (AHP):

- एएचपी घटक किफायती आवास परियोजनाओं की आवश्यकता को संबोधित करता है। यह प्रत्येक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) परिवार के लिए 1.5 लाख रुपये की केंद्रीय सहायता प्रदान करता है।
- केंद्रीय सहायता के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए, किफायती आवास परियोजनाओं को ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए कम से कम 35% घरों को आवंटित करना होगा।
- राज्य और केंद्र शासित प्रदेश (UT) सामर्थ्य सुनिश्चित करने के लिए ईडब्ल्यूएस घरों की बिक्री मूल्य पर एक ऊपरी सीमा स्थापित करते हैं।
- शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों, वरिष्ठ नागरिकों, SC / ST / OBC, अल्पसंख्यकों, एकल महिलाओं, ट्रांसजेंडर और समाज के अन्य कमजोर और कमजोर वर्गों के लिए वरीयता दी जाती है।

लाभार्थी के नेतृत्व में व्यक्तिगत आवास निर्माण/वृद्धि (बीएलसी-एन/बीएलसी-ई):

- यह घटक व्यक्तिगत घरों के निर्माण या सुधार के लिए केंद्रीय सहायता के रूप में 1.5 लाख रुपये तक प्रदान करके पात्र आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) परिवारों को सशक्त बनाता है।
- इस प्रक्रिया में शहरी स्थानीय निकायों द्वारा पूरी तरह से सत्यापन शामिल है, जो भूमि स्वामित्व, आर्थिक स्थिति और पात्रता की पुष्टि करता है।

महिला उन्नति एवं सशक्तिकरण:-

- पीएमएवाई-यू ने घर के स्वामित्व के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देकर एक प्रगतिशील कदम उठाया है। महिला सदस्य के नाम पर या संयुक्त रूप से घरों के पंजीकरण से आवास में लैंगिक समानता में सुधार होता है।

पीएमएवाई-यू के तहत प्रगति:-

- नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, पीएमएवाई-यू पहल ने 9 लाख घरों का निर्माण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, जिनमें से 76.25 लाख आवास वर्तमान में बसी हुई हैं।

संबंधित पहल:-

- किफायती किराया आवास परिसर (ARHCs):** आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने पीएमएवाई-यू उप-योजना के तहत एआरएचसी की शुरुआत की। इस पहल का उद्देश्य शहरी प्रवासियों और गरीबों को किफायती किराये के आवास प्रदान करना है, जिससे वे अपने कार्यस्थलों के करीब सम्मानजनक स्थिति में निवास कर सकें।
- अभियान अंगीकार:** यह अभियान 2019 में गांधी जयंती पर शुरू किया गया था और सामुदायिक गतिशीलता और सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) गतिविधियों पर केंद्रित है। यह जल संरक्षण, अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता जैसी चीजों के संबंध में पीएमएवाई (यू) लाभार्थियों के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रोत्साहित करता है।
- ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज: इंडिया (GHTC):** आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने आवास उद्योग के लिए अत्याधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल भवन प्रौद्योगिकियों की पहचान करने के लिए जीएचटीसी इंडिया की शुरुआत किया गया।

योजनाओं का महत्व:-

शहरी क्षेत्रों में आवास की कमी को दूर करना:-

- किफायती शहरी आवास की तीव्र कमी, जो आर्थिक रूप से वंचित वर्गों के लिए एक आवर्ती समस्या रही है, को सीधे पीएमएवाई-यू द्वारा लक्षित किया गया है।
- इस योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है की व्यापक समाधान प्रदान करके कमजोर शहरी परिवारों को सम्मानजनक और दीर्घकालिक आवास के विकल्पों तक पहुंच प्रदान करना है।

समावेशी विकास को बढ़ावा देना:-

- यह पहल आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस), निम्न आय समूह (एलआईजी), और मध्यम आय समूहों (एमआईजी) सहित सभी आय समूहों के लोगों को सेवाएं प्रदान करके यह पहल समावेशी विकास के विचार के अनुरूप है। न्यायसंगत आवास वितरण को बढ़ावा देकर यह आर्थिक असमानताओं को कम करने में योगदान देता है।

महिलाओं का सशक्तिकरण:-

- पीएमएवाई-यू यह सुनिश्चित करके महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर देता है कि घर महिला सदस्यों के नाम पर या संयुक्त रूप से पंजीकृत हैं।
- यह कदम न केवल लैंगिक समानता की चिंताओं को संबोधित करता है, बल्कि घरों में महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को भी बढ़ाता है।

गरीबी उन्मूलन और जीवन की गुणवत्ता में सुधार:-

- सुरक्षित आवास तक पहुंच से लाभार्थियों के जीवन की गुणवत्ता सीधे प्रभावित होती है। परिवारों को रहने के लिए जगह देने के अलावा, पीएमएवाई-यू एक ठोस आधार स्थापित करके गरीबी को समाप्त करने में मदद करता है जिस पर वे अपने बच्चों की शिक्षा, आय के स्रोतों और सामान्य कल्याण पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।

आर्थिक विकास का समर्थन:-

- आवास निर्माण और संबंधित उद्योगों पर योजना का जोर रोजगार के अवसर पैदा करता है और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करता है।
- सीमेंट, स्टील और परिवहन जैसे संबद्ध उद्योगों को पीएमएवाई-यू की आर्थिक वृद्धि और निर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन से लाभ होता है।

सतत विकास लक्ष्यों के साथ संरेखित करना:-

- PMAY-U संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य 11 के अनुरूप है, जो शहरों को समावेशी, सुरक्षित, लचीला और टिकाऊ बनाने पर केंद्रित है।
- आवास पुनर्विकास और विकास पर कार्यक्रम के जोर के परिणामस्वरूप शहरी बुनियादी ढांचे में सुधार हुआ है। योजना का लक्ष्य आईएसएसआर और एएचपी सहित कई घटकों के माध्यम से स्लम क्षेत्रों को सुव्यवस्थित आवास के समूहों में बदलना है। इससे रहने की स्थिति में सुधार होता है और साथ ही शहरी क्षेत्रों की सामान्य स्वच्छता और सौंदर्यशास्त्र में भी सुधार होता है।

स्रोत:

<https://www.thehindu.com/news/national/pm-modi-announces-new-scheme-to-help-urban-poor-build-houses/article67197697.ece>

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न-

प्रश्न-01 प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी (पीएमएवाई-यू) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. पीएमएवाई-यू को पात्र शहरी परिवारों को "पक्का" आवास प्रदान करने के लिए पेश किया गया था।
2. यह केवल आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) परिवार के लिए आवास ऋण में सब्सिडी प्रदान करता है।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: a

प्रश्न-02 प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी (पीएमएवाई-यू) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. यह मध्यम आय समूहों (एमआईजी) पर भी लागू होता है।
2. यह पुनर्विकास की प्रक्रिया के दौरान योग्य झुग्गी निवासियों के लिए प्रति आवास 1 लाख रुपये की केंद्रीय सहायता प्रदान करता है।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: c

मुख्य परीक्षा प्रश्न-

प्रश्न-03 भारत में आर्थिक रूप से वंचित शहरी परिवारों की आवास की आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्यों में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी (पीएमएवाई-यू) के उद्देश्यों, घटकों और प्रभावों पर चर्चा कीजिए।

Rajiv Pandey

प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम-उषा)

इस लेख में "दैनिक करंट अफेयर्स" और विषय विवरण "प्रधान मंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम-उषा)" शामिल है। संघ लोक सेवा आयोग के सिविल सेवा परीक्षा के "शासन" खंड में "प्रधान मंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम-उषा)" विषय से संबंधित है।

प्रीलिम्स के लिए:-

- प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम-उषा) क्या है?

मुख्य परीक्षा के लिए:-

- सामान्य अध्ययन-02: सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप
- सामान्य अध्ययन-02: शिक्षा से संबंधित मुद्दे

खबरों में क्यों?

- एक समाचार लेख के अनुसार, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर अभी तक 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं।

पृष्ठभूमि:-

- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) को प्रारंभ में एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में शुरू किया गया था जिसका उद्देश्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में शैक्षिक संस्थाओं को वित्तपोषण प्रदान करना था।
- योजना का उद्घाटन चरण 2013 में शुरू हुआ, इसके बाद 2018 में इसका दूसरा चरण शुरू हुआ।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति में निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार, रूसा पहल को नया रूप दिया गया है और अब इसे प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम-उषा) के रूप में जाना जाता है।

प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम-उषा) क्या है?

- प्रधान मंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम-उषा), भारत सरकार का एक केंद्रीय प्रायोजित कार्यक्रम है, जिसका प्रबंधन शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाता है।
- इसका लक्ष्य राज्यों में पात्र उच्च शिक्षा संस्थानों को लक्षित वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
- यह योजना बुनियादी ढांचे के विकास, संकाय सुधार और शैक्षणिक सुधारों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके भारत में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने का प्रयास करती है।

प्रधानमंत्री उषा की मुख्य विशेषताएं-



- **प्रमुख कमियों और पुनर्निर्देशन को संबोधित करना:** पीएम-उषा का उद्देश्य केंद्र प्रायोजित योजनाओं पर नीति आयोग की मूल्यांकन रिपोर्ट में उजागर कमियों और समस्याओं को दूर करना है। रिपोर्ट में प्रभाव बढ़ाने और योजना को तर्कसंगत बनाने के लिए इसे दोबारा डिजाइन करने का सुझाव दिया गया है।
- **स्नातक रोजगार क्षमता में वृद्धि:** लक्ष्य उन पाठ्यक्रमों को प्रोत्साहित करके स्नातक रोजगार क्षमता को बढ़ाना है जो बाजार, उद्योग संपर्क, इंटरनेटिंग और रोजगार योग्यता परिणामों की निगरानी से जुड़े हैं। कौशल-आधारित

शिक्षा और महत्वपूर्ण कौशल अंतराल की पहचान करने पर जोर दिया जाता है, जो रोजगार-केंद्रित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की विशेषता हो।

- **पहुंच और गुणवत्ता के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना:** यह योजना संसाधनों तक बेहतर पहुंच और उच्च शिक्षा में गुणवत्ता के लिए प्रौद्योगिकी और मुक्त दूरस्थ शिक्षा को बढ़ावा देती है। गुणवत्ता पहलों के कार्यान्वयन और संस्थानों के NAAC मान्यता स्कोर को बढ़ाने का समर्थन किया जाता है।
- **नई शिक्षा नीति 2020 एकीकरण:** नई शिक्षा नीति- 2020 और नीति आयोग की सिफारिशों के साथ संरेखित करते हुए, योजना एक नए सिरे से संरचना प्राप्त करती है। इसमें शैक्षणिक सुधार, व्यावसायिक शिक्षा, रोजगार, उभरते पाठ्यक्रम, उद्योग-अकादमिक, मान्यता और पहुंच, गुणवत्ता, समानता, जवाबदेही और सामर्थ्य के नई शिक्षा नीति के स्तंभ में शामिल हैं।
- **विशिष्ट जिलों पर ध्यान केंद्रित करना:** योजना के कार्यान्वयन में "फोकस जिलों" पर विशेष जोर दिया जाता है।
- **नई शिक्षा नीति के स्तंभों को पूरा करना:** यह योजना नई शिक्षा नीति के स्तंभों को पूरा करती है, जिसमें - कौशल-आधारित शिक्षा, रोजगार में वृद्धि, उभरते पाठ्यक्रम, उद्योग-अकादमिक सहयोग, गैर-मान्यता प्राप्त संस्थान, विकल्प-आधारित क्रेडिट प्रणाली, शैक्षणिक सुधार, बाधा मुक्त शिक्षा को प्रोत्साहित करना शामिल हैं।

प्रधानमंत्री उषा उद्देश्य-

- उच्च शिक्षा में समावेशन और समानता।
- गुणवत्ता शिक्षण और सीखने की प्रक्रियाओं का विकास।
- गैर-मान्यता प्राप्त संस्थानों को मान्यता देना और मान्यता को अधिक प्रभावी बनाना
- आईसीटी आधारित डिजिटल बुनियादी ढांचा
- बहु-विषयक दृष्टिकोण के माध्यम से रोजगार क्षमता में वृद्धि करना।

कवरेज:

- इसमें सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों के साथ-साथ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों सरकारी संस्थान शामिल हैं।

रूसा और पीएम-उषा के बीच अंतर-

1. **राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा):**-केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) कार्यक्रम को प्रायोजित करता है। इसका उद्देश्य राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के संस्थानों का समर्थन करके, यह अधिक दक्षता के साथ राज्य की उच्च शिक्षा प्रणाली में समानता और उत्कृष्टता, पारदर्शिता और जवाबदेही हासिल करना चाहता है। इस योजना का पहला चरण 2013 में और दूसरा चरण 2018 में पेश किया गया था।
2. **प्रधानमंत्री उच्च शिक्षा अभियान (पीएम-उषा):**- रूसा.1 और रूसा 2.0 को पहले ही उपयोग में लाया जा चुका है, और कुछ उल्लेखनीय सुधार हुए हैं, जिनमें सकल नामांकन अनुपात (GER), मान्यता (गुणवत्ता सुधार), छात्र-शिक्षक जैसे कई उच्च शिक्षा संकेतकों में उल्लेखनीय प्रगति शामिल है। अनुपात, आदि। फिर भी पहुंच, समावेशन, नामांकन, गुणवत्ता सुधार, कौशल, रोजगार योग्यता, प्रौद्योगिकी आदि जैसे क्षेत्रों में अंतर बना हुआ है। कुछ लक्ष्यों को पूरा करने और कमियों को दूर करने के लिए बेहतर आउटपुट और परिणामों की आवश्यकता होती है, जिसके लिए नए हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। मूल्यांकन में मुख्य खामियाँ हैं जिन्हें पीएम-उषा द्वारा चिन्हित करके इन्हें दूर किये जाने का प्रयास किया जाएगा। नीति आयोग के अनुसार, समावेशी योजना को अधिक तार्किक और प्रभावी बनाने के लिए इसे संशोधित किया जाना चाहिए।

खबर के बारे में अधिक: -

- केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों ने अभी तक प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम-उषा) के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।

राज्यों ने जताई चिंता-

- **बजट मुद्दे और योजना भागीदारी:** राज्यों ने एमओयू के बारे में चिंता व्यक्त की है, क्योंकि उन्हें पीएम-उषा पहल के लिए बजट का 40% योगदान करने की आवश्यकता है। इस बजटीय पहलू ने उनकी भागीदारी के बारे में आशंकाएं पैदा कर दी हैं।
- **चुनौतियां और वित्त पोषण आवश्यकताएं:** कुछ राज्य सरकारों ने इस समझौता ज्ञापन के बारे में चिंता व्यक्त की है क्योंकि यह एनईपी-संचालित सुधारों के कार्यान्वयन का आह्वान करता है, जिसका अर्थ है बढ़ी हुई वित्तीय आवश्यकताएं। राज्यों को एनईपी में उल्लिखित सुधारों को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए, केंद्र को बढ़ी हुई वित्तीय सहायता प्रदान करने की आवश्यकता हो सकती है।

स्रोतों:

केंद्र की प्रमुख शिक्षा योजना में 14 राज्य अब तक शामिल नहीं

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न-

प्रश्न-1. प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम-उषा) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:-

1. प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम-उषा) भारत सरकार द्वारा एक कार्यक्रम है, जिसे शिक्षा मंत्रालय के माध्यम से प्रशासित किया जाता है।
2. यह योजना बुनियादी ढांचे के विकास, संकाय सुधार और शैक्षणिक सुधारों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके भारत में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने का इरादा रखती है।
3. यह योजना बेहतर पहुंच और गुणवत्ता के लिए उच्च शिक्षा में प्रौद्योगिकी और मुक्त दूरस्थ शिक्षा को बढ़ावा देती है।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d)

प्रश्न-2. निम्नलिखित पर विचार करें:

1. प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम-उषा) सर्व शिक्षा अभियान नामक पहले की योजना का एक नया संस्करण है।
2. पीएम-उषा एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका अर्थ है कि केंद्र और राज्य समान रूप से योगदान करते हैं।
3. पीएम-उषा का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से सिफारिशों को शामिल करना है।
4. पीएम-उषा के पिछले संस्करण में समग्र सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया था, जबकि पीएम उषा कम जीईआर वाले क्षेत्रों पर केंद्रित है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं?

- (a) केवल एक
- (b) केवल दो
- (c) केवल तीन
- (d) उपरोक्त में सभी।

उत्तर: (B)

मुख्य परीक्षा प्रश्न-

प्रश्न-3. प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम-उषा) और भारत में उच्च शिक्षा को बदलने में इसके महत्व पर चर्चा करें।

Rajiv Pandey